



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 06/2014

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हड़मानराम पुत्र भबूतराम
2. मांगीलाल पुत्र भबूतराम
3. सुरेन्द्र काग पुत्र गोपाराम
4. जगदीश काग पुत्र गोपाराम
5. बाबुलाल पुत्र पूनाराम
6. मदनलाल पुत्र पूनाराम
7. भभूतराम पुत्र लालाराम
सभी जातियान सीरवी काग,
निवासीगण चोयलो की ढीमड़ी
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला
जोधपुर

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मिश्रीलाल
2. तेजाराम पुत्र मिश्रीलाल
3. पेमाराम पुत्र जोगाराम
जातियान सीरवी
निवासीगण चोयलो की ढीमड़ी
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। आवाज दिलायी गयी। प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे लगवायी गयी प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 13/2014 हड़मानराम वगैराह बनाम राजेन्द्रसिंह वगैरा के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास आज दिनांक 28.06.2017 को सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा